कार्यालय नगर विकास न्यास अलवर

क्रमांकः– 11137

दिनांकः 08/01/2

श्री रमेश चन्द अग्रवाल पुत्र श्री भौरेलाल अग्रवाल एवं
श्री सौरभ अग्रवाल पुत्र श्री रमेश चन्द अग्रवाल
निवासी 34ए, जयमार्ग, स्कीम नं0 2, अलवर

विषय :– खसरा नंबर 1380, 1381 क्षेत्रफल 21445 वर्गमीटर ग्राम तूलेड़ा, तहसील व जिला अलवर की भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान स्वीकृति बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा खसरा नंबर 1380, 1381 क्षेत्रफल 21445 वर्गमीटर ग्राम तूलेड़ा, तहसील व जिला अलवर की भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान स्वीकृति हेतु न्यास कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। ले–आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 12.12.2023 में विचारार्थ हेतु रखा गया। समिति के निर्णयानुसार ले–आउट प्लान स्वीकृति के मध्य बाह्य विकास शुल्क 21,44,500/– रुपये रसीद संख्या 3290/26 दिनांक 26.12.2023 के द्वारा जमा करा दी गई है। अतः ले–आउट प्लान निम्न शर्तो के साथ स्वीकृत किया जाता है :–

01. आन्तरिक विकास के मध्य रखे गये 12.5 प्रतिशत में आवासीय भूखण्ड सं0 7, 8, 9, 18, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 39ए क्षेत्रफल 1140.97 वर्गमीटर व व्यावसायिक भूखण्ड सं0 सी-1 क्षेत्रफल 213.92 वर्गमीटर एवं इन्फॉर्मल शॉप सं0 एस-2, एस-5 क्षेत्रफल 16.5 वर्गमीटर कुल क्षेत्रफल 1371.39 वर्गमीटर को तब तक आवेदक द्वारा विक्रय नहीं किया जावेगा, जब तक की विकास कार्य पूर्ण नही हो जाता एवं विकास कार्य पूर्ण होने के उपरान्त मौके पर सत्यापन होने के पश्चात् उक्त भूखण्डों को रहन मुक्त किया जायेगा एवं प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 28.12.2023 में अंकित शर्तो की पालना करनी होगी।
02. आन्तरिक विकास कार्य विकासकर्ता द्वारा निर्धारित समय में किया जायेगा। जिसके क्रम में प्रस्तुत अण्डरटेकिंग दिनांक 28.12.2023 की पालना करनी होगी।
03. राज्य सरकार/न्यास द्वारा जारी टाऊनशिप पॉलिसी व प्रचलित भवन विनियमों के दिये गये निर्देशों की विकासकर्ता को पालना करनी होगी।
04. राज्य-सरकार के परिपत्र दिनांक 29.09.2021 के अनुसार टेलीकॉम इन्फास्ट्रक्चर यथा मोबाईल टावर हेतु नियमानुसार हेतु भूमि आरक्षित करना आवश्यक होगा।
05. स्वीकृत ले-आउट प्लान के अनुसार EWS/LIG भूखण्ड का विक्रय बिना न्यास की स्वीकृति के नहीं किया जावेगा एवं मुख्यमंत्री जन आवास योजना के नियमानुसार पालना करनी होगी।
06. राज्य सरकार/न्यास द्वारा देय राशि की मांग की जाती है तो जमा करानी होगी।
07. नियमानुसार भूखण्डों के पट्टे प्राप्त कर भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
08. टाऊनशिप पॉलिसी के प्रावधान अनुसार योजना का विकास कार्य निर्धारित समयावधि में करना होगा। नियमानुसार पूर्णता/अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
09. स्वीकृत योजना का (RERA) में पंजीकरण कराना आवश्यक होगा।
10. एकीकृत भवन विनियम/टाउनशिप पॉलिसी के अनुसार वर्षा जल संरक्षण एवं एस.टी.पी. का नियमानुसार प्रावधान करना होगा।
11. ले-आउट प्लान में दर्शाये गये सुविधा क्षेत्र की भूमि को डवलपर द्वारा विक्रय नहीं किया जावेगा।

सहायक नगर नियोजक नगर विकास न्यास अलवर	अधिशाषी अभियन्ता नगर विकास न्यास अलवर	तकनीकी सलाहकार नगर विकास न्यास अलवर	विशेषाधिकारी (भूमि) नगर विकास न्यास अलवर	सचिव नगर विकास न्यास अलवर

क्रमांकः

दिनांकः

प्रतिलिपि :– आवश्यक कार्यवाही एवं वास्ते सूचनार्थ।

01. प्रभारी अधिकारी नियमन, न्यास, अलवर।
02. अधिशाषी अभियन्ता, न्यास, अलवर।

सहायक नगर नियोजक
(सदस्य सचिव)
नगर विकास न्यास, अलवर